डा0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

अल्पकालीन तकनीकी निविदा आवेदन प्रपत्र

निविदा प्रपत्र मूल्य : रूपये 1,000/–

निविदा का नाम	नारी शक्ति कुम्भ एक वैचारिक मंथन, अक्षयपात्र परिसर, वृन्दावन, मथुरा हेतु खानपान व्यवस्था (प्याज लहसुन रहित स्वल्पाहार एवं भोजन हेतु)
आपूर्तिकर्त्ता/फर्म का नाम	....
दूरभाष नम्बर	....
पार्टनरशिप/प्रोपराइटरशिप	....
पत्र व्यवहार का पता	....
अर्नेस्टमनी	रुपये 60,000/– मात्र (रूपये साठ हजार मात्र) बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/एफ.डी.आर. नं0 .... दिनांक .... बैक का नाम ....
अनुमानित व्यय –	रूपये 30 लाख लगभग ।
निविदा फार्म डाउनलोड की तिथि–	07, नवम्बर, 2018 12.00 बजे से
निविदा स्वीकार की अंतिम तिथि –	17, नवम्बर, 2018 अपरान्ह 1.00 बजे
निविदा खुलने की तिथि व समय–	19, नवम्बर, 2018 अपरान्ह 3.00 बजे
निविदा का विवरण	मैं/हम .... फर्म का नाम .... प्रोपराइटर/पार्टनर .... निविदा के साथ संलग्न लिस्ट पर दी गई दरों पर कार्य करने को सहमत हूँ। पता .... टेलीफोन/मोबाइल नं0 .... जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन सं0 .... दिनांक.................... आयकर पैन नम्बर ....

(हस्ताक्षर निविदादाता)

तकनीकी निविदा

अर्हता प्रपत्र

(इसमें क्वालीफाई करने के बाद ही वित्तीय निविदा खोली जायेगी)

निविदादाता को निम्नलिखित प्रपत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा, जिसके बिना निविदा अस्वीकार कर दी जायेगा जिसका समस्त उत्तरदायित्व निविदादाता का होगा –

1– अल्पकालीन निविदा प्रपत्रों पर वांछित हस्ताक्षर होना चाहिए ।

2– नियम व शर्तो को पूर्णरूपेण परिपालन करने हेतु हस्ताक्षर सहित घोषणा पत्र संलग्न करना होगा ।

3– निविदा मूल्य रूपये 1,000/– का बैंकर्स चैक/ड्राफ्ट एवं धरोहर राशि रूपये 60,000/– का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/एफ.डी.आर. वित्त अधिकारी, डा0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा के पक्ष में प्रक्रियानुसार जमा करना अनिवार्य होगा ।

4– फर्म/प्रोपराइटर को स्वहस्ताक्षरित पैन कार्ड की प्रति जमा करना होगा ।

5– फर्म/प्रोपराइटर का स्वहस्ताक्षरित जी.एस.टी. पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति जमा करना होगा ।

6– फर्म/प्रोपराइटर का वर्ष 2015–16, 2016–17 एवं 2017–18 का आयकर रिटर्न तथा कम से कम दो वर्ष की सी.ए. से हस्ताक्षरित बैलेन्सशीट की प्रमाणित प्रति जमा कराना अनिवार्य होगा । फर्म को वित्तीय वर्ष 2017–18 में कम से कम रूपये एक करोड़ के कार्य का टर्नओवर होना आवश्यक है ।

7 उ0 प्र0 सरकार द्वारा जारी खाद्य पंजीयन प्रमाण पत्र (Food Licence) संलग्न करना अनिवार्य होगा ।

8– फर्म/प्रोपराइटर को कम से कम 3 वर्ष का कैटरिंग कार्य का अनुभव ।

9– फर्म/प्रोपराइटर का ई.पी.एफ, ई.एस.आई.सी., श्रम विभाग में पंजीकरण प्रमाण पत्र की स्वहस्ताक्षरित फोटोप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

10– फर्म/प्रोपराइटर का किसी संस्था के द्वारा कालीसूची न किये जाने का पृथक रूप से घोषणा पत्र संलग्न करना होगा ।

11– निविदा प्रपत्र ई–टेण्डर की साइट https://etender.up.nic.in पर अपलोड करना होगा ।

कुलसचिव

डा0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

तकनीकी निविदा घोषणा–पत्र

निविदा सम्बन्धी समस्त नियम व शर्तों के अन्तर्गत मैं श्री .... पार्टनर/प्रोपराइटर निवासी .... फर्म का नाम .... विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित नारी शक्ति कुम्भ एक वैचारिक मंथन, अक्षयपात्र परिसर, वृन्दावन, मथुरा हेतु खानपान व्यवस्था (प्याज लहसुन रहित स्वल्पाहार एवं भोजन) हेतु अपनी निविदा की दरें संलग्न कर रहा हूॅं । अर्नेस्ट मनी का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/एफ.डी.आर संख्या ....दिनांक ....रूपये ....बैंक का नाम .... जो वित्त अधिकारी डा0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा के नाम बन्धक है इस निविदा के साथ संलग्न कर रहा हूँ मैंने निविदा सम्बन्धी नियमों व शर्तों को भली भॉति पढ़ लिया है तथा मुझे निविदा की सभी शर्तें मान्य हैं। यदि मैं निर्धारित समय के अन्दर कार्य की कार्यवाही नियमानुसार यथा जमानत राशि, इकरारनामा आदि पूर्ण करने में असफल रहूँ तो मेरे बयाने की राशि जब्त कर ली जाय। इन नियमों एवं शर्तों का मैं पूर्ण रूपेण परिपालन करूँगा तथा उसके विरुद्ध मैं किसी प्रकार की कानूनी कार्यवाही करने का अधिकारी नहीं रहूँगा।

एतद्द्वारा मैं घोषणा करता हूँ कि विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सभी शर्तें एवं नियम मुझे बिना किसी आपत्ति के स्वेच्छा से स्वीकार हैं। सभी विवादों में कुलपति महोदय डा0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा द्वारा किये गये निर्णय मुझे मान्य होंगे।

गवाह– 1

हस्ताक्षर एवं पता

....

2

हस्ताक्षर एवं पता ....

....

दिनांक– ....

निविदादाता के हस्ताक्षर

निविदादाता का नाम ....

....गवाह–

फर्म से सम्बन्ध ....

पूरा पता ....

मोबाइल नं0 ....

<u>नोट–</u>

1– निविदा प्रपत्र ऑनलाइन अपलोड होंगे ।

2– हार्डकॉपी के रूप में एक प्रति विश्वविद्यालय में निर्धारित दिनांक एवं समय को निविदा शुल्क व धरोहर राशि के साथ जमा करना होगा ।

3– निविदा के साथ रूपये 100/– का नॉन जुडीशियन स्टाम्प पेपर संलग्न करना अनिवार्य होगा ।

डॉ0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

वित्तीय विड

नारी शक्ति कुम्भ एक वैचारिक मंथन, अक्षयपात्र परिसर, वृन्दावन, मथुरा हेतु खानपान व्यवस्था
(प्याज लहसुन रहित शाकाहारी स्वल्पाहार एवं भोजन)

मैं/हम ....

फर्म का नाम ....

फर्म का पता ....

निम्न दरों पर संलग्न शर्तो के अधीन कार्य करने को सहमत/बचनबद्ध हूँ तथा मैं दर्शायी गयी न्यूनतम दरों पर आपूर्ति करने के लिए तैयार हूँ :–

Item	Session	Rate per person with GST
Aloo Paratha/ Methi Paratha/Mix Paratha Sada Dahi, Boondi Raita Tea/Coffee (Separate Sugar) Readymade tea Idli Sambhar (Less spicy) Poha and Bread Butter with Jem Poori-Sabji Bedai-Kachauri with sabji and Jalebi Cornflex and milk White Sponj rasgulla Dhokla Mineral Water Bottle 500 ml	Breakfast	
Coffee Tomato Soup Dal Makhani/ Daal Fry Sahi Paneer Dum Aloo Choley/ Kari-Pakodi Mix. Veg. Dahi Pakori Salad, Papad Sonth & Chatni Gajar Halwa, Gulab Jamun, Icecream Nan, Missi, Tandori Parantha, Lachcha Parantha, Sada Roti, Poori Veg.pulav, & Rice Dosa, Idli Sambhar Mineral Water Bottle 500 ml.	Lunch/ Dinner	

Item	Session	Rate per person with GST
Vegetable (two) Poori 08 Pcs. Sweet Dish (One) Achaar Salad 4 Pcs.	Lunch Packet with best quality packing	
Tea/Coffee Readymade and sugar free with two biscuits (Sweet and Namkeen)	Intersessional Tea	
Vegitable Pakoda or Paneer Pakoda Tea/Coffee Readymade and sugar free	Extra Special items	

एल–1 का निर्धारण समस्त मदों की दरों को जोड़कर न्यूनतम दर पर आधारित होगा ।

नियम एवं शर्तें

1. उपरोक्त दरों में सभी कर शामिल हैं ।
2. मैन्यू में आवश्यकतानुसार संशोधन किया जा सकता है।
3. कैटरिंग की गुणवत्ता उच्च क्वालिटी की होनी चाहिए ।
4. उपरोक्त सभी आइटमों में प्याज व लहसुन का प्रयोग नहीं होगा।
5. समस्त सामग्री/मसाले उच्च गुणवत्ता के होने चाहिए।
6. खान पान में प्रयुक्त होने वाली क्राकरी एवं कैटलरी उच्च कोटि की होनी चाहिए।
7. प्रत्येक स्थान पर गुणवत्तायुक्त आर.ओ.पानी के कैम्पर की अतिरिक्त समुचित व्यवस्था करायी जायेगी ।
8. खान पान हेतु सर्विस के लिए मैनपॉवर की व्यवस्था उपयुक्त ड्रैस के साथ फर्म की होगी।
9. खाद्य सामग्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी फर्म की होगी।
10. समय–समय पर आव यकतानुसार ब्रेकफास्ट/लंच/डिनर की पैकिंग भी करायी जा सकती है ।

Dated:

हस्ताक्षर निविदादाता ....

फर्म की मोहर ....

डॉ0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

निविदा सम्बन्धी नियम एवं शर्तें

1. विश्वविद्यालय द्वारा नारी शक्ति कुम्भ एक वैचारिक मंथन, अक्षयपात्र परिसर, वृन्दावन, मथुरा में आयोजित कार्यक्रम हेतु खानपान व्यवस्था (बिना प्याज लहसुन के शाकाहारी) निर्देशित समय सीमा के अन्तर्गत अनिवार्य रूप से पूर्ण करनी होगी। कैटरिंग व्यवस्था साफ–सफाई सहित उच्च क्वालिटी की होनी चाहिये तथा व्यवस्था निर्धारित तिथि से पूर्व अथवा निर्धारित तिथि पर आपके द्वारा निर्देशित स्थान पर उपलब्ध कराने होंगे। कॉमर्शियल गैस सिलेण्डर का ही प्रयोग किया जाना होगा व सामान पहुँचाने व ले जाने का भाड़ा अतिरिक्त रूप से देय नहीं होगा। खान–पान व्यवस्था कार्य के दौरान व उपरान्त परिसर में धूम्रपान व मदिरापान पूर्णतः वर्जित होगा ।
2. खानपान व्यवस्था का कार्य करने वाले निविदादाता के बेरा/चाकर संक्रमक बीमारी से ग्रस्त नहीं होने चाहिए । निविदादाता द्वारा अपने बैरा/चाकरों के स्वास्थ्य की जॉच कराकर उनका स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा । किसी बैरा/चाकर के अकस्मात बीमार अथवा घटना, दुर्घटना हो जाने की स्थिति में उसका इलाज कराने की जिम्मेदारी पूर्णतः निविदादाता की होगी ।
3. खानपान की गुणवत्ता को खानपान समिति किसी भी समय जॉच कर सकती है, यदि खाने की गुणवत्ता से समिति संतुष्ट नहीं होती है तो अर्थदण्ड/ठेका निरस्त किया जा सकता है ।
4. परिसर की सम्पत्ति को निविदादाता/बैरा/चाकर के द्वारा क्षति पहुॅचायी जाती है तो उन्हें अर्थदण्ड देना होगा । सभी बैरा/चाकर 18 वर्ष से अधिक उम्र के होने चाहिए ।
5. खानपान व्यवस्था में कार्यरत निविदादाता के बैरा/चाकर साफ, स्वच्छ एवं एक समान वदी में होने चाहिए तथा व्यवहार कुशल होने चाहिए ।
6. कार्य को बढ़ाने एवं घटाने का विश्वविद्यालय का सर्वाधिकार सुरक्षित रहेगा।
7. निर्धारित निविदा मूल्य एवं अर्नेस्टमनी की राशि वित्त अधिकारी, डॉ0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा के नाम देय होगी। राष्ट्रीकृत बैंक के बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक ही (अन्य किसी रूप में मान्य नहीं होगी) निविदा की हार्ड कॉपी के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
8. फर्म/प्रोपराइटर का ई.पी.एफ, ई.एस.आई.सी., श्रम विभाग में पंजीकरण तथा फर्म के पंजीयन प्रमाण पत्र की स्वहस्ताक्षरित फोटोप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
9. फर्म/प्रोपराइटर को स्वहस्ताक्षरित पैन कार्ड एवं स्वहस्ताक्षरित जी.एस.टी. पंजीकरण/एफ.एस.एस.ए.आई. प्रमाण पत्र की प्रति जमा करना होगा ।
10. फर्म/प्रोपराइटर का वर्ष 2015–16, 2016–17 एवं 2017–18 का आयकर रिटर्न तथा कम से कम दो वर्ष की सी.ए. से हस्ताक्षरित बैलेन्सशीट की प्रमाणित प्रति जमा कराना अनिवार्य होगा । फर्म को वित्तीय वर्ष 2017–18 में कम से कम रूपये एक करोड़ के कार्य का टर्नओवर होना आवश्यक है।
11. उ0 प्र0 सरकार द्वारा जारी खाद्य पंजीयन प्रमाण पत्र (Food Licence) संलग्न करना अनिवार्य होगा।
12. फर्म/प्रोपराइटर का 3 वर्ष का कैटरिंग कार्य का अनुभव।
13. फर्म/प्रोपराइटर का किसी संस्था के द्वारा कालीसूची न किये जाने का पृथक रूप से घोषणा पत्र संलग्न करना होगा ।
14. जिस कार्य/आपूर्ति की दरें दी जा रही हैं वे उत्तम क्वालिटी की होनी चाहिये अगर ठेकेदार/फर्म द्वारा ऐसा नहीं किया जाता है तो अन्य श्रोतों से निविदा में वर्णित कार्य/आपूर्ति गुणवत्ता के आधार/स्रोतों पर करा लिया जायेगा। कुलपति या उनके प्रतिनिधि का फैसला निविदादाता को मान्य होगा और उस फैसले के विरुद्ध निविदादाता को किसी प्रकार की कार्यवाही करने का अधिकार नहीं होगा।
15. निविदा की स्वीकृति पर कुलपति का फैसला अन्तिम होगा।
16. अगर निविदादाता निविदा स्वीकृति होने के बाद ठेका छोड़ देता है तो उसकी जमानत की धनराशि जब्त कर विश्वविद्यालय कोष में जमा करा दी जायेगी। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय को घटित क्षति के लिये उसके विरुद्ध हर्जाने के लिये कानूनी कार्यवाही भी की जा सकेगी।
17. फर्म/ठेकेदार के नाम से जो ठेका स्वीकृति किया जायेगा वह किसी भी दशा में अन्य फर्म/ठेकेदार को स्थानान्तरित नहीं करेगा। यदि फर्म/ठेकेदार ऐसा करते है तो उनका ठेका निरस्त समझा जायेगा तथा उनकी सिक्योरिटी मनी को जब्त करके विश्वविद्यालय कोष में जमा करा दिया जायेगा।

....2

18. दरें स्वीकृत होने के उपरान्त निर्देशानुसार कार्य की धनराशि का 5 प्रतिशत सिक्योरिटी मनी के रूप में फर्म को जमा करनी होगी । 5 प्रतिशत धनराशि की गणना फर्म के द्वारा जमा अर्नेस्टमनी को जोड़कर की जायेगी । यह धनराशि संतोषजनक कार्य के उपरान्त 45 दिवस के अन्दर वापस की जायेगी ।

19. अगर निविदादाता निविदा स्वीकृत हो जाने के उपरान्त निर्देशानुसार निविदा संबंधी कार्यवाही जैसे सिक्योरिटी धनराशि, अनुबन्ध आदि की कार्यवाही निर्धारित समय के अन्दर पूर्ण नहीं करता है तो उसकी निविदा को निरस्त मानते हुए अर्नेस्टमनी की धनराशि को जब्त कर लिया जायेगा। निर्धारित समय एवं दिनांक के बाद प्राप्त होने वाली निविदा को स्वीकार नहीं किया जायेगा चाहे विलम्ब पोस्ट आफिस/कोरियर की गलती के कारण हुआ हो।

20. तकनीकी व वित्तीय निविदा की हार्डकॉपी www.dbrau.org.in एवं https://etender.up.nic.in वेबसाइट से डाउनलोड कर एक प्रति पृथक–पृथक लिफाफों में कुलसचिव कार्यालय, पालीवाल पार्क परिसर में जमा करना होगा। निविदा खोलने की तिथि व समय पर निविदायें विश्वविद्यालय के अतिथि गृह, बैठक कक्ष, खन्दारी परिसर में उपस्थिति निविदादाताओं के समक्ष समिति द्वारा खोली जायेंगी । लिफाफे में तकनीकी विड एवं वित्तीय विड की हार्डकॉपी अलग–अलग लिफाफे में रखी जायेंगी ।

–तकनीकी विड एवं वित्तीय विड अलग–अलग लिफाफों में सील कर दोनो को एक बड़े लिफाफे में रख कर सील करने के उपरान्त ही स्वीकार किया जायेगा।

–तकनीकी बिड वाले लिफाफे में तकनीकी निविदा से सम्बन्धित प्रपत्र जैसे कार्य के अनुभव प्रमाण–पत्र, निविदा मूल्य का बैंकर्स चैक/ड्राफ्ट, अर्नेस्टमनी की धनराशि का बैंकर्स चैक/ड्राफ्ट/एफ.डी.आर. क्रमांक 2 के अनुसार रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, आदि डालने होंगे उस पर ''तकनीकी विड'' अवश्य लिखा जाये।

–जिस लिफाफे में सामग्री की दरें प्रस्तावित होंगी उस पर वित्तीय बिड लिखा जाय। वित्तीय बिड के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रपत्र पर वित्तीय बिड/दर का उल्लेख न किया जाय अन्यथा उनका निविदा आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा ।

21. कुलपति को यह अधिकार होगा कि वह एक या समस्त निविदा को वगैर कोई कारण बताए निरस्त/स्वीकृत कर सकते हैं ऐसी स्थिति में फर्म/ठेकेदारों को किसी भी प्रकार की आपत्ति करने का अधिकार नहीं होगा।

22. दोनों पक्षों में कोई विवाद होने पर कुलपति जी ही आरबिट्रेटर होंगे जिनका निर्णय अन्तिम होगा तथा दोनों पक्षों को मान्य होगा।

23. निविदादाता/फर्म को निविदा देने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके पास सम्बन्धित प्रकार का कार्य करने संबंधी सामान एक ही स्थान पर हो। सामान का निरीक्षण विश्वविद्यालय के इस कार्य के लिये प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा किसी भी समय किया जा सकेगा।

24. समयबद्ध रूप से कार्य संपादित न करने अथवा असंतोषजनक/निम्न गुणवत्ता–युक्त सामग्री की/आपूर्ति करने पर विश्वविद्यालय को किसी रूप में पैनल्टी लगाने का पूर्ण अधिकार होगा।

25. न्यायिक क्षेत्राधिकार आगरा ही होगा।

हस्ताक्षर निविदादाता

दिनांक–

पत्र व्यवहार का स्पष्ट पूरा पता मोहर सहित

––––––––––––––––––––––